

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् में

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना –

(The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of)

उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् के शासी निकाय के समस्त अधिकारी एवं नामित सदस्यों द्वारा बैठक में राज्य हित में लिये गये निर्णयानुसार ही राज्य के कास्तकारों/ग्रामीण लोगों को हर संभव तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है तथा प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को बोर्ड बैठक में अनुमोदन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाता है।

परिषद् में स्वयं सेवी संगठन तथा निजी एजेन्सियों के प्रतिनिधियों को भी नामित किया गया है.